

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

उपायुक्त का न्यायालय, गुमला

आदेश - फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम - 129)

फिलीप एक्का
बनाम
सरकार

आदेश फलक तारीख.....से.....तक जिला - गुमला

वाद सं० :- 45 / 2016-17

वाद का प्रकार :- अनुमति (Permission)


5/1/21
अपीलार्थी श्री फिलीप एक्का पति-श्री बहुरा एक्का ग्राम-जमगाई थाना-सिसई जिला-गुमला के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-49 के अन्तर्गत अपने बिराब के नाम से संत मेरीस सकेण्डरी स्कूल बसिया रोड सिसई हेतु खरीदे गए निम्नांकित भूमि को बिराब इन्डियन मिशनरी सोसाईटी रॉची रीजन को बिक्री करने के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।


मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा एकड़ में
सिसई		281	1487	0.48
		282	1488	2.23
	कुल			2.71

अभिलेख फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस वाद से कोई अनिच्छा नहीं रह गई है।

अतः अपील वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त,
गुमला


उपायुक्त,
गुमला